राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 473/2025

सुरेश कुमार पुत्र श्री बाबूलाल, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी भुटेल, पोस्ट देवरा, पुलिस थाना झाब, जिला जालोर (राज.)।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. संयुक्त सचिव (ए-3/शिकायत), कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक (पीएच), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. प्राचार्य एवं नियंत्रक, डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज एवं एसोसिएट ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, जोधपुर।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए : श्री विवेक फिरोदा

प्रतिवादीगण के लिए :

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

14/01/2025

1. याचिकाकर्ता, जो एक चिकित्सा अधिकारी है, की शिकायत दिनांक 19.12.2024 (संलग्नक 17) के आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता की सेवा को निलंबन के अधीन रखा गया था और उसके बाद दिनांक 03.01.2025 (संलग्नक 18) के आदेश के तहत उसे उसकी तैनाती से कार्यमुक्त कर दिया गया था।

2. अनावश्यक विवरणों को छोड़कर, प्रासंगिक तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने नीट पीजी 2021 में बैठने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त की थी। अर्हता प्राप्त करने के बाद, उसे डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में रेडियोडायग्नोसिस में पीजी पाठ्यक्रम आवंटित किया गया। 12.04.2022 को, याचिकाकर्ता को पीजी पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए चिकित्सा अधिकारी के पद से कार्यमुक्त कर दिया गया और इस उद्देश्य के लिए तीन वर्ष का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया गया।

2.1 हालाँकि 20.03.2024 को, अजमेर के सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 465, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत कमला कुमारी नामक एक महिला की शैक्षणिक डिग्री के कूटरचित होने का आरोप लगाते हुए एफआईआर संख्या 101/2024 दर्ज की गई, जिसमें याचिकाकर्ता को शुरू में आरोपी नहीं बनाया गया था, लेकिन बाद में एक सह-अभियुक्त के बयान के आधार पर उसे फंसाया गया। याचिकाकर्ता को बाद में 22.03.2024 को गिरफ्तार किया गया और वह वर्तमान में

जमानत पर है। दिनांक 14.06.2024 को आरोप-पत्र दाखिल किया गया और याचिकाकर्ता सह-अभियुक्त के रूप में मुकदमे का सामना कर रहा है।

2.2 अपनी रिहाई के बाद, याचिकाकर्ता ने 12.11.2024 को पीजी पाठ्यक्रम में पुनः प्रवेश हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। इसके बजाय, दिनांक 29.12.2024 को प्रतिवादी संख्या 2 ने सीसीए नियम, 1958 के नियम 13(2) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, याचिकाकर्ता को हिरासत में रहने के आधार पर 22.03.2024 से निलंबित कर दिया और उसका मुख्यालय निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय में नियत कर दिया। अतः, वर्तमान याचिका।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा मामले की पत्रावली का अवलोकन किया है।

4. मेरा ध्यान दिनांक 22.03.2023 (संलग्नक -19) के परिपत्र, विशेष रूप से उसके खंड (बी) की ओर आकर्षित किया गया है, जो प्रासंगिक है और अंग्रेजी से अनुवादित होने पर निम्नानुसार पढ़ा जाता है :-

> "पुलिस द्वारा जघन्य एवं गंभीर अपराधों में निलंबन एवं निलंबन का प्रत्याहार :
>
> *1.* जघन्य एवं गंभीर अपराध जैसे हत्या, बलात्कार, दहेज हत्या, मानव तस्करी, भ्रूण हत्या, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, लोक परीक्षा अधिनियम में अनुचित साधनों के प्रयोग में संलिप्तता या नैतिक अधमता के अपराध, इन सभी मामलों में, यदि किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया जाता है और *48* घंटे से अधिक समय तक हिरासत *(*न्यायिक/पुलिस हिरासत*)* में रखा जाता है, तो ऐसे सरकारी कर्मचारी को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए।
>
> ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामलों में, यदि उचित न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, तो उनके निलंबन को रद्द करने का मामला उचित विचार के लिए समीक्षा समिति के समक्ष रखा जाना चाहिए।"

5. उपरोक्त के आलोक में, ऐसा प्रतीत होता है कि सक्षम प्राधिकारी को विवादित आदेश पारित करने से पहले, सर्वप्रथम याचिकाकर्ता का मामला समीक्षा समिति के समक्ष रखना चाहिए था। याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के समय और विवादित आदेश पारित करने के समय के बीच के अत्यधिक समयांतराल को देखते हुए, और इस तथ्य के साथ कि इस स्तर पर याचिकाकर्ता केवल एक विचाराधीन कैदी/सह-आरोपी है, चूँकि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद विचारण शुरू हो चुका है, उसका निलंबन वारंट योग्य नहीं हो सकता है।

6. इसके अतिरिक्त, ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य अभियुक्त, जिसने कूटरचित अंकतालिका का लाभ उठाया, वह कमला कुमारी है। याचिकाकर्ता पर लगाया गया आरोप केवल उसे कूटरचित अंकतालिका तैयार करने में मदद करने के षड्यंत्र का है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता उक्त कूटकरण, यदि कोई हो, का लाभार्थी नहीं है, जो कि किसी भी सक्षम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। इस स्तर पर, यह केवल एक आरोप है।

7. जो भी हो, वर्तमान याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि याचिकाकर्ता द्वारा इस आदेश के वेब-प्रिंट के साथ संपर्क करने पर, 30 दिनों की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता का मामला समीक्षा समिति के समक्ष रखा जाएगा। समीक्षा समिति उसके पश्चात उचित आदेश पारित करके, उक्त परिपत्र के अनुसार निर्णय लेगी।

8. जब तक आवश्यक कार्यवाही नहीं हो जाती, दिनांक 19.12.2024 (संलग्नक-17) और दिनांक 03.01.2025 (संलग्नक-18) के आक्षेपित आदेशों का प्रभाव और प्रवर्तन स्थगित रहेगा।

9. अंत में, यह स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि विवादित आदेशों पर रोक लगा दी गई है, इसलिए याचिकाकर्ता को डॉ. सम्पूर्णानंद मेडिकल कॉलेज (एसएनएमसी), जोधपुर में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अपने तृतीय वर्ष की पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।

10. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित समझे जाएंगे।

(अरुण मोंगा), जे

21-/जितेन्द्र/आरमाथुर/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है: हाँ / नहीं।

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra
Advocate